प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात

दिनांक- 03.09.2026

➢ **थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 01.09.2026 को वादी द्वारा लिखित तहरीर बावत अभियुक्त अंशू उर्फ मिर्ची द्वारा वादी की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर गांव के बाहर बगिया में ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 165/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम अंशू उर्फ मिर्ची पुत्र राकेश निवासी ग्राम बुधेड़ा डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वांछित नामित अभियुक्त अंशू उर्फ मिर्ची पुत्र राकेश निवासी ग्राम बुधेड़ा डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को सूर्या तिराहे के पास ओवर ब्रिज के नीचे बने यात्री प्रतिक्षालय थाना क्षेत्र सिकन्दरा से आज दिनांक 03.09.2026 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1. अंशू उर्फ मिर्ची उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र राकेश निवासी ग्राम बुधेड़ा डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 165/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधाकर सिंह,
2. अतिरिक्त निरीक्षक श्री इन्द्रजीत सिंह,
3. कां0 531 मनीष कुमार,
4. रि0कां0 392 मनीष कुमार।